सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

अग्रहायण 08, बुधवार, *शाके* 1945-नवम्बर 29, 2023

Agrahayana 08, Wednesday , Saka 1945- November 29, 2023

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

विभाग का नामः उपायुक्त आयोजना (प्रथम), नगर निगम ग्रेटर जयपुर।

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 06, 2023

भू-उपयोग परिवर्तन आदेश

अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम, 2021

संख्या एफ13( )उपा.आयोजना /जननि./2023/516 :- भूखण्ड संख्या 84/57 मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर का क्षेत्रफल 120 व.मी. राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा पट्टा विलेख जारी है| उक्त भूखण्ड का मास्टर प्लान 2025 में मिश्रित भू-उपयोग के अन्तर्गत दर्शित है| उक्त भूखण्ड का मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय प्राशासनिक स्वीकृति दिनांक 27.09.2023 को अनुमोदन पश्चात् परिवर्तन का निर्णय लिया गया हैं| उपरोक्त निर्णय की पालना में प्रश्नगत भूखण्ड के मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ परिवर्तन की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैः-

1. भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 से सम्बन्धित अधिसूचना दिनांक 28.10.2020 के आदेश दिनांक 24.02.2021 एवं राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेश अधिसूचना/परिपत्र में उल्लेखित समस्त सम्बन्धित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
2. भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात प्रश्नगत भूखण्ड पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जा सकेगी जो आस-पास के निवासकर्ताओं के लिए हानिकारक एवं संकटमय हो।
3. यह केवल आवेदित भूखण्ड के मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है। इस स्वीकृति को आवेदित भूखण्ड के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावे।
4. मास्टर डवलपमेंट प्लान 2025 के अनुसार भूखण्ड का उपयोग मिश्रित हेतु लिया जावेगा एवं भवन विनियमों अनुसार मानचित्र अनुमोदित करवाया जाना अनिवार्य रहेगा।
5. उक्त आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के अध्याधीन रहेगा।
6. भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से मिश्रित प्रयोजनार्थ मिश्रित लीज नियमानुसार शहरी जमाबन्दी के प्रावधानानुसार जमा करानी होगी जिसमें प्रावधानुसार समय-समय पर बढोतरी की जा सकेगी। जो प्रति वर्ष 1 अप्रैल से पूर्व जमा करानी होगी।

आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन राशि 3,13,872/- रूपये एवं मिश्रित प्रयोजनार्थ एक मुश्त लीज राशि जरिए रसीद संख्या 9003/29245 दिनांक 03.10.2023 द्वारा निगम कोष में जमा है किन्तु नियमों में परिवर्तन के कारण कोई राशि देय होती है तो जमा करानी होगी।

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन आदेश राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से प्रवृत्त होगा।

बाबूलाल गोयल

आयुक्त

नगर निगम जयपुर ग्रेटर